Most Urgent

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकुला।

सेवा में

राज्य के समस्त
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 4/100–2014 एम.डी.एम(1)
दिनांकः पंचकूला 29.10.2015

विषयः हरियाणा राज्य में मिड–डे–मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने बारे।

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 4/37–2014एम0डी0एम0(1) दिनांक 1.7.2014 तथा 4/100–2014 एम.डी.एम(1) दिनांक 19.12.2014 की निरन्तरता में।

निदेशालय द्वारा मिड–डे–मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बार–बार दिशा–निर्देश जारी किए जाते रहे है। निदेशालय द्वारा पुनः दिशा–निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि **भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने बारे एवं मिड–डे–मील को तैयार करने एवं बच्चो को खाना परोसने बारे निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः–**

1 <u>मिड–डे–मील से सम्बन्धित खाद्यान्न के उठान से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः–</u>

क. भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने से पहले उसकी गुणवत्ता तथा वजन को भली प्रकार से जांच लें।

ख. खुले में रखे खाद्यान्न की कोई भी उठान न करवाएं।

ग. केवल उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ही करवाएं।

घ. जिस दिन खाद्यान्न की उठाई हो, उस दिन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी में से एक अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेगा। यदि बाद में खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

ङ अपने–अपने जिलों से सम्बन्धित सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि हैफेड द्वारा जब भी खाद्यान्न देने आएंगे, उस समय स्वयं सहायता समूह का कोई न कोई सदस्य खाद्यान्न को लेने के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेगा। इस खाद्यान्न को लेने से पहले भली प्रकार से उन द्वारा लाए गए कांटे से नाप–तोल कर लें और पूरे खाद्यान्न का वजन लेना सुनिश्चित

करें। यदि किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्यान्न लेने से इन्कार किया जाता है तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

2 मिड–डे–मील तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए:–

क. मिड–डे–मील तैयार करते समय मिड–डे–मील में प्रयोग किए जाने वाले खाद्यन्न/बर्तनों को भली प्रकार से साफ करवाकर साफ सुथरे बर्तनों में ही मिड–डे–मील बनवाए तथा तैयार मिड–डे–मील को साफ सुथरे स्थान पर ढक कर रखवाएं तथा स्वच्छता से छात्रों में मिड–डे–मील को परोसा जाए। बाजार से खुला तेल/घी खरीदने के बजाये, सील बन्द अच्छी कम्पनी का तेल अथवा घी, दालो व मसालो इत्यादि का प्रयोग किया जाए।

ख मिड–डे–मील किचन मे ही तैयार किया जाए। खुले में अथवा वृक्ष के नीचे खाना तैयार न करवाया जाए।

3 मिड–डे–मील परोसने से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए:–

क. मिड–डे–मील स्वच्छता से छात्रों को परोसने से पूर्व स्कूल के सभी छात्र–छात्राओं के हाथ अच्छी तरह साबुन से धुलवाए जाएं एवं मिड–डे–मील खाने के उपरान्त भी सभी छात्र–छात्राओं के हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलवाना सुनिश्चित करें।

ख. निदेशालय द्वारा अपराह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले व्यजनों में से जो भी व्यंजन बनाया जाए वह सभी व्यंजन विद्यालय प्रांगण तथा स्कूल के मुखिया/मिड डे मील इन्चार्ज की देख–रेख में बनेंगें। स्कूल का मुखिया/मिड डे मील इन्चार्ज यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता और मात्रा ठीक हो और **स्कूल का मुखिया/अध्यापक सहित 2–3 अन्य व्यसक बच्चों** को परोसने से **पहले भोजन को चखेगे।**

ग मिड डे मील बच्चों को परोसने से पहले उसकी गुणवत्ता को चैक करने हेतु विद्यालय मे पढने वाले **छात्र–छात्राओ की माताओं को** भी शामिल किया जाए।

अन्य मुख्य हिदायते:

क इसके अतिरिक्त निदेशालय के पत्र क्रमांक 1/27–2013 एम0डी0एम0(1)दिनांक 2.9.2013 द्वारा पहले भी निर्देश जारी किए गए थे कि कम से कम मास मे एक बारे खाने के नमुने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टैस्ट करवाए जाए। परन्तु देखने मे आया है कि किसी भी जिले द्वारा एक भी विद्यालय का खाना चैक नही करवाया गया है। पुनः निर्देश दिए जाते है कि मास मे एक बार/ जबभी विद्यालय प्रभारी या मिड डे मील इन्चार्ज चाहे मिड डे मील को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टैस्ट करवाए। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के नाम व पते संलग्न है।

ख निदेशालय के पत्र क्रमांक 1/27–2013 एम0डी0एम0(1)दिनांक 2.9.2013 द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि जिला स्तर पर प्रत्येक तिमाही मे सांसद की अध्यक्षता मे जिला उपायुक्त द्वारा मिड डे मील को सुचारू रूप से चलाने हेतु बैठक की जाएगी। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियो से अनुरोध है कि जिला उपायुक्त व सासंद की अध्यक्षता मे बैठक करवाना सुनिश्चित करे।

ग निदेशालय के पत्र क्रमांक 1/27–2013 एम0डी0एम0(1)दिनांक 2.9.2013 द्वारा यह निर्देश भी जारी किए गए थे कि जिला स्तर पर प्रत्येक मास मे एक बार जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे विभिन्न विभागो से जैसे स्वास्थ्य विभाग, सामाज कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नागकि आपूर्ति व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से बैठक कर स्कीम को लागू करने मे आ रही परेशानियों को दूर किया जाए तथा स्कीम को सुचारू रूप से लागु किया जाए।

घ किसी भी आपात स्थिती से निपटने हेतु सभी विद्यालयो मे स्वास्थय केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, जिला अस्पताल, जिला उपायुक्त तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी के दूरभाष नम्बर एक बोर्ड पर दर्शाए जाए।

ड सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी मास मे एक बार प्रत्येक विद्यालय में मिड–डे–मील का औचक निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि बच्वें के लिए दिया जाने वाला मिड–डे–मील साफ–सुथरा व अच्छी गुणवत्ता का दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार के नियमो का उल्लघंन नही हो रहा, किसी भी छात्र से छुआ–छूत के आधार पर भेदभाव न किया जा रहा हो तथा विद्यालय की निरीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट निदेशालय में भिजवायें।

जिन जिलों में ईस्कॉन द्वारा मिड–डे–मील दिया जा रहा है उन जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के मुखिया/स्कूल के मिड–डे–मील इंचार्ज को निर्देश दें कि ईस्कॉन द्वारा सप्लाई किये जाने वाले मिड–डे–मील को भली प्रकार से चैक करें, साफ सुथरे बर्तनों में डलवाकर साफ स्थान पर रखवाएं और स्वच्छता से बच्वें में परोसने के पूर्व सम्बन्धित स्कूल के **स्कूल के मुखिया/अध्यापक** सहित 2–3 अन्य व्यसक बच्चों **को परोसने से पहले भोजन को चखेगे तथा चैक करेगे।** यदि किसी प्रकार का दूषित या ठीक खाना न बना हो, तब तुरन्त ईस्कॉन को सूचित करें।

कृप्या उपरोक्त दिशा निर्देशो की दृढता से पालना करें।

29-10-2015

प्रबन्धक मिड–डे–मील
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांनक क्रमांक सम दिनांक,पंचकूला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. राज्य के समस्त अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कृपया अपने जिले से सम्बन्धित स्कूलों में दिए जा रहे मिड–डे–मील का समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, प्लाट न0 534, पेस सिटी (Pace City) –2, सैक्टर–37, गुडगांव–121006, हरियाणा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।
3. ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, गांव ढोलागढ, औमेक्स सिटी, पलवल–121102 हरियाणा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।
4. ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, गांव मिर्जापुर, डा0 गुरूकुल, कुरूक्षेत्र–136119 हरियाणा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।
5. निदेशक ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, कम्युनिटी सैंटर, सैक्टर 7–ए, बिहाईंड सेन्ट जोन पब्लिक स्कूल, नज़दीक सत्या सिनेमा, फरीदाबाद–121006 को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

Sd/-

प्रबन्धक मिड–डे–मील
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला